B.A. 3, Paper – VI (Gr. A)
Topic – Interview Schedule
By – Dr. Bakhtiyar Ali Fatmi

Ques: Explain the merits and demerits of Interview Schedule (साक्षात्कार अनुसूची) के गुणों एवं दोषों का वर्णन करें।

Ans:

सामाजिक अनुसंधान में अनेक उपकरणों के रूप में अनुसूची एक प्रचलित नाम है। व्यापक अर्थ में अनुसूची एक प्रपत्र है, जिसे शोधकर्ता तथ्य-संकलन के उपकरण के रूप में प्रयुक्त करता है। P.V. Young ने अनुसूची के व्यापक अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि —

"Schedule is a formal list, a catalogue or inventory that is, a counting device ......"। अर्थात, अनुसूची मदों का एक प्रपत्र है, जिसके माध्यम से संख्यात्मक रूप में आंकड़ों को अंकित किया जाता है। Kerlinger के अनुसार — "अनुसूची वैयक्तिक साक्षात्कार से प्रमाण सामग्री संकलन का एक उपकरण है।" अनुसूची कई प्रकार की होती हैं जिनमें साक्षात्कार अनुसूची सबसे महत्वपूर्ण है।

साक्षात्कार अनुसूची संभवतः सबसे प्रचलित एवं उपयोगी अनुसूची है। इसका प्रयोग व्यवस्थित एवं संरचित साक्षात्कार के उपकरण के रूप में किया जाता है। अशिक्षित जनसमूह के लिए प्रश्नावली उपयोगी विधि नहीं है। अतः व्यक्तिगत संपर्क द्वारा साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग अशिक्षित व्यक्तियों से तथ्य-संकलन संभव बनाता है। मानक प्रश्न संरचना, शब्दावली एवं भाषा और व्यवस्थित प्रश्नक्रम के कारण यह प्रामाणिक एवं विश्वसनीय तथ्य-संकलन का उपयोगी माध्यम है। साक्षात्कार-अनुसूची की उपयोगिता एवं प्रचलन के कारण ही अनुसूची एवं साक्षात्कार-अनुसूची पर्यायवाची से हो गए हैं। यह अनुसूची साक्षात्कारी द्वारा साक्षात्कार उपकरण के रूप में प्रयुक्त प्रश्नों की तालिका है, जिसे वह आमने-सामने की स्थिति में उत्तरदाता से पूछकर सूचनाएं भरता है। इसे ही साक्षात्कार अनुसूची कहते हैं। Goode and Hatt के अनुसार — "साक्षात्कार-क्रम में जब साक्षात्कारकर्ता प्रदत्त संकलन के लिए किसी अनुसूची का प्रयोग करता है, तो उसे साक्षात्कार-अनुसूची कहते हैं। साक्षात्कार-अनुसूची के द्वारा अधिक विश्वसनीय परिणाम प्राप्त होते हैं। जिस साक्षात्कार में साक्षात्कार-अनुसूची का प्रयोग किया जाता है उसे संरचित साक्षात्कार (Structured Interview) कहा जाता है।"

Scanned with CamScanner

साक्षात्कार-अनुसूची प्रयत्न में प्रश्नावली तथा प्रयोग में साक्षात्कार के समान होती है। अतः इसमें प्रश्नावली की एकरूपता एवं वस्तुनिष्ठता का गुण तो है ही, साक्षात्कार का वैयक्तिक सम्पर्क का लाभ भी सम्मिलित है। साक्षात्कार-अनुसूची के निम्नलिखित गुण या विशेषताएँ हैं :—

1. प्रत्यक्ष सम्पर्क द्वारा सूचना-संकलन (Data collection through direct contact) : अनुसूची द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक तथ्यों का संकलन संभव होता है। प्रत्यक्षता के इस गुण के कारण अनुसूची द्वारा प्रामाणिक एवं यथार्थ सूचनाएं संकलित होती हैं। प्रत्यक्ष सम्पर्क का एक लाभ यह भी होता है कि शोधकर्ता अपने व्यक्तिगत प्रभाव एवं कुशलता से उत्तरदाता को सूचना देने के लिए प्रेरित एवं उत्साहित भी कर सकता है।

2. नियोजित तथ्य-संकलन का आधार (Basis of systematic data collection) : अनुसूची सूचना-संकलन के लिए शोधकर्ता का मार्गदर्शन करता है। इसमें शोधकर्ता के लिए पूर्व निश्चित निर्देश होते हैं, प्रश्न का उपयुक्त चुनाव होता है, इसकी भाषा एवं क्रम की पूर्व-जाँच कर ली गयी होती है, यूँ कहें कि पूरी कार्य-प्रणाली पूर्व-नियोजित एवं व्यवस्थित ढंग से सूचनाओं का संकलन करते हैं। इसका लाभ यह होता है कि संकलित तथ्य वैज्ञानिक, अर्थपूर्ण एवं विश्वसनीय होता है।

3. विस्तृत सूचनाओं का संकलन (Collection of wider range of information) : अनुसूची की प्रमुख विशेषता इसका बहु-उपयोगी एवं बहुमुखी होना है। एक साथ ही अनुसूची में अवलोकन, साक्षात्कार एवं प्रश्नावली का संयुक्त रूप देखने को मिलता है। शोधकर्ता इस तरह प्रश्नावली-विधि की यथार्थता एवं एकरूपता का लाभ प्राप्त करता है, तो दूसरी ओर वह साक्षात्कार विधि के लचीलेपन के आधार पर गहन एवं व्यक्तिगत सूचनाओं के लिए भी द्वार खोलता है।

4. सार्वभौमता का गुण (Quality of universality) : अनुसूची की प्रकृति विभिन्न प्रकार के उत्तरदाताओं से तथ्य-संकलन संभव बनाती है। उत्तरदाता चाहे शिक्षित हों या अशिक्षित, शोध में रुची रखता हो या नहीं, सभी वर्गों के लिए अनुसूची तथ्य संकलन का उपयुक्त उपकरण है। जहाँ अन्य विधियाँ सफल

नहीं हो पाती, वहाँ अनुसूची तथ्य-संकलन संभव बनाती है।

5. उच्च प्रत्युत्तर दर (High Response rate) : इसका एक प्रमुख लाभ यह है कि इसमें प्राप्त प्रत्युत्तर का प्रतिशत प्रश्नावली की तुलना में बहुत अधिक होता है। अनुसूची में साक्षात्कारकर्ता स्वयं सूचना-संकलन के लिए उपस्थित होता है। शोधकर्ता अपने व्यक्तिगत प्रभाव, व्यवहार, कुशल संचालन द्वारा उत्तरदाता की शंकाओं एवं कठिनाइयों का निराकरण करता है और उनसे तथ्य संकलन में सहयोग प्राप्त करने में सफल होता है।

तथ्य संकलन के उपकरण के रूप में साक्षात्कार-अनुसूची की प्रमुख सीमाएं (दोष) निम्नलिखित हैं :—

1. खर्चीली एवं समय लेने वाली विधि (expensive and time consuming method) : अनुसूची समय एवं व्यय की दृष्टि से अन्य विधियों की तुलना में अधिक खर्चीली है। अनुसूची द्वारा तथ्य संकलन के तीन स्तर हैं— अनुसूची का निर्माण, शोधकर्ताओं को अनुसूची-प्रयोग का प्रशिक्षण एवं अनुसूची के प्रयोग द्वारा तथ्य संकलन। इन तीनों स्तर पर समय एवं व्यय अधिक लगता है।

2. सार्वभौम प्रश्न के निर्माण में कठिनाई (Problem of framing universal questions) : प्रश्नावली की ही तरह अनुसूची की एक प्रमुख सीमा सार्वभौम प्रश्नों के निर्माण से सम्बद्ध है। सार्वभौम प्रश्नों का अर्थ है— वैसे प्रश्न जो सभी उत्तरदाताओं के लिए समान हों और वे सभी उसका एक ही अर्थ से और एक ही संदर्भ में उसका उत्तर दें।

3. सीमित उपयोग (Limited use) : अनुसूची का उपयोग सीमित क्षेत्र एवं सीमित संख्या के उत्तरदाताओं पर ही संभव हो पाता है। विस्तृत क्षेत्र में अधिक बड़ी संख्या में सर्वेक्षण के लिए यह साधन अव्यावहारिक एवं अनुपयुक्त है।

4. सम्पर्क की समस्या (Problem of making contact) : अनुसूची साक्षात्कार का एक यंत्र है जिसमें व्यक्तिगत संपर्क द्वारा सूचनाओं का संकलन किया जाता है। आधुनिक नगरीय जीवन एवं द्वितीयक संबंध की प्रमुखता के कारण साक्षात्कारी के सामने प्रायः उत्तरदाता से सहयोग प्राप्त करना कठिन होता है। यदि उत्तरदाता सहयोग नहीं देना चाहे, तो उसके पास तर्क एवं कारण की कमी नहीं होती।

5. पक्षपात की संभावना (Possibility of bias): अनुसूची द्वारा तथ्य-संकलन में अधिकांश सर्वेक्षक एवं शोधकर्ता पर व्यक्तिगत तथा (उनकी) रुचियाँ अधिक रूप में पक्षपात का प्रमुख कारक है। यह भी हो सकता है कि साक्षात्कारदाता की प्रकृति भूमिका वास्तविक एवं निश्चित क्षेत्र में सक्रिय नहीं, वह और विश्वसनीयता पर नहीं जताए, जो उचित होता है।

6. अस्वाभाविक स्थिति (Unnatural situation): अनुसूची द्वारा साक्षात्कार वस्तुतः कृत्रिम औपचारिक एवं अस्वाभाविक स्थिति में सम्पादित होता है। अनुसूची को देखकर प्रश्न करना और उत्तरों को अंकित करना सम्पूर्ण अंतःक्रिया को औपचारिक तथा बनावटी सी बनाते ही हैं, कभी-कभी कष्टदायक भी बनाते हैं। ऐसी स्थिति में संकलित तथ्य भी प्रभावित होते हैं और स्वाभाविक तथा वास्तविक सूचनाएँ नहीं प्राप्त होती हैं।

अनुसूची के इन दोषों के प्रकाश में यह समझना भूल होगी कि यह अत्यंत अव्यवहारिक तथा औपचारिक विधि है। अनुसूची के दोष अधिकतर शोधकर्ता की कुशलता द्वारा कम किए जा सकते हैं। यदि अनुसूची के निर्माण में सावधानी बरती जाए और शोधकर्ता की प्रवीणता में प्रशिक्षण, अनुभव तथा सूझ के द्वारा वृद्धि की जाए, तो साक्षात्कार अनुसूची सामाजिक शोध में प्रदत्त संग्रह का एक अत्यंत ही उपयोगी उपकरण एवं साधन है। इसके द्वारा अधिक यथार्थ, विश्वसनीय, गहन एवं अर्थपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं और अत्यधिक संरचित होने के कारण तथ्यों की एकरूपता एवं वस्तुनिष्ठता भी बनी रहती है। अंत में, निष्कर्षतः P.V. YOUNG के शब्दों में कह सकते हैं कि—

"The researcher makes the Schedule a guide, a means of delimiting the scope of enquiry, a memory-tickler, a recording device." (शोधकर्ता के लिए अनुसूची एक पथ-प्रदर्शक, अध्ययन क्षेत्र की सीमा निर्धारण करने वाला साधन, स्मरण दिलाने का यंत्र एवं आलेखन की प्रविधि है)

14/5/2020

Scanned with CamScanner